


अनिल कुमार
एच0जे0एस0

1.
अर्ध0शा0प0स0 9 / 2021
विश्राम-कक्ष
जिला न्यायाधीश
दिनांक: मार्च 20, 2021

प्रिय आशुतोष जी,

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि दिनांक 18.03.2021 को आपके न्यायालय में अब्दुल हुसैन एवं अनवर अली के द्वारा परिवाद विरुद्ध श्री अभिनव यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन, नेहा रानी वैयक्तिक सहायक व श्री सुनील यादव संस्थित किया गया। उक्त तथ्य संज्ञान में आने के बाद आपको विश्राम कक्ष में बुलाकर इस संबंध में सूचित करते हुए निर्देशित किया गया था कि परिवाद संस्थित होने की सूचना मय सम्पूर्ण पत्रावली की छायाप्रति लिखित रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। आज पुनः मेरे द्वारा आपको विश्राम कक्ष में अपराहन बुलाकर इस संबंध में अवगत कराया गया, परंतु आपके द्वारा इस समय सायं 4:45 तक मेरे आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 22.03.2021 तक मेरे समक्ष प्रस्तुत करें एवं स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मेरे मौखिक निर्देशों के अवहेलना का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाये।


(अनिल कुमार)
जिला न्यायाधीश
भदोही।

सेवामें,
श्री आशुतोष-॥
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही।

12/20/21
at 5:15

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही-ज्ञानपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
भदोही-ज्ञानपुर।

विषय:- आवेदक अनवर अहमद एवं अब्दुल कलाम की ओर से श्री अभिनव यादव, सिविल जज, सी०डी, भदोही-ज्ञानपुर एवं दो अन्य के विरुद्ध दाखिल परिवाद के सम्बंध में।


महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.2021 ई० को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर के न्यायालय में आवेदक अनवर अहमद एवं अब्दुल कलाम की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण ने मानवाधिकार के अन्तर्गत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, भदोही-ज्ञानपुर कोर्ट सं०1 के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा जांच प्रक्रिया अग्रसारित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश, प्रथम भदोही के क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के कारण धारा 201 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद आवेदकगण को वापस किया गया है जो इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2021 को दाखिल किया गया है एवं परिवाद ग्रहण कर अग्रतेर कार्यवाही किये जाने की याचनी की गयी है। परिवादपत्र के साथ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, भदोही-ज्ञानपुर कोर्ट सं०1 में मानवाधिकार वाद संख्या 03/2021 के समस्त सूची के साथ प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें दिनांक 01.02.2021 से दिनांक 02.03.2021 तक के आदेशपत्रक का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम भदोही/विशेष मानवाधिकार न्यायाधीश, द्वारा परिवाद पत्र पर संज्ञान लेते हुए बतौर मानवाधिकार वाद पंजीकृत किया गया है तथा परिवाद जांच के अनुक्रम में परिवादी अनवर अहमद एवं अब्दुल कलाम का बयान अंकित किया गया है। पुनः दिनांक 06.02.2021 को साक्षी रमेश, राजेश बहादुर का बयान क्रमशः ई०डब्लू०३ व ई०डब्लू०४ अंकित किया गया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम भदोही/विशेष मानवाधिकार न्यायाधीश, भदोही के द्वारा परिवाद पर संज्ञान लेते हुए जांच के अनुक्रम में गवहो के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किया गया है उक्त परिवाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश/सुनवाई हेतु दिनांक 07.04.2021 की तिथि नियत की गयी है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में माननीय महोदय के मौखिक आदेशानुसार सादर प्रेषित।


सादर।

दिनांक-20.03.2021 ई०

भवदीय,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही।

आपके न्यायालय में दिनांक- 18.3.2021 को दाखिल परिवादपत्र
अनवर आदि बनाम अभिनव आदि की पत्रावली अवलोकन हेतु वांछित है।
अतः आप उक्त पत्रावली की छायाप्रति अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।


जनपद न्यायाधीश
भदोही।

दिनांक-22.3.2021

Copy received.
22/03/21
C.S.M. Bhadohi.

प्रेषक,

आशुतोष ॥

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भदोही ज्ञानपुर

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश


भदोही ज्ञानपुर

विषय: माननीय महोदय के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 9/2021 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा दिनांक 22.03.2021 तक प्रार्थी से उपरोक्त अर्ध शासकीय पत्र संख्या 9/2021 के द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि दिनांक 18.03.2021 को माननीय महोदय के संज्ञान में यह तथ्य आया कि दिनांक 18.03.2021 को मेरे न्यायालय में अब्दुल हुसैन एवं अनवर अली के द्वारा परिवाद विरुद्ध श्री अभिनव यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन, नेहा रानी वैयक्तिक सहायक व श्री सुनील यादव संस्थित किया गया। उक्त तथ्य संज्ञान में आने के बाद मुझे प्रार्थी को विश्राम कक्ष में बुलाकर इस संबंध में सूचित करते हुए निर्देशित किया गया था कि परिवाद संस्थित होने की सूचना मय सम्पूर्ण पत्रावली की छायाप्रति लिखित रूप में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। आज पुनः माननीय महोदय द्वारा मुझे प्रार्थी को विश्राम कक्ष में अपराह्न बुलाकर इस संबंध में अवगत कराया गया, परंतु मुझे प्रार्थी द्वारा समय सायं 4:45 तक माननीय महोदय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। माननीय महोदय को ऐसा प्रतीत होने पर कि मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देशों की अवहेलना की गई, माननीय महोदय द्वारा इस संदर्भ में मुझे प्रार्थी का स्पष्टीकरण दिनांक 22.03.2021 तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

जैसा कि विदित है कि स्वयं माननीय महोदय द्वारा दिनांक 18.03.2021 को प्रार्थी को अपने विश्राम कक्ष में बुलाया गया था जिसमें मुझे इस बात से माननीय महोदय द्वारा ही स्वयं प्रथम बार अवगत



कराया गया कि अब्दुल हुसैन एवं अनवर अली द्वारा श्री अभिनव यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन, नेहा रानी वैयक्तिक सहायक व श्री सुनील यादव के विरुद्ध परिवाद मेरे न्यायालय में संस्थित किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी को ऐसी कोई सूचना नहीं थी। उस समय पत्रावली कम्प्यूटर अनुभाग से फाइलिंग के पूर्व ही माननीय महोदय के समक्ष मंगायी गयी थी, जिस पर मुझे माननीय महोदय द्वारा मौखिक निर्देश दिया गया था कि उक्त पत्रावली को दर्ज कराकर परिवाद संस्थित कर व निस्तारित करने की सूचना माननीय महोदय को प्रेषित की जाये, यह सुनकर प्रार्थी हतप्रभ था तथा प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया बल्कि आश्वस्त किया गया कि जो भी विधि अनुसार होगा किया जायेगा। उक्त निर्देश के उपरांत पत्रावली कम्प्यूटर अनुभाग को फाइलिंग के लिए भेज दी गयी थी। जबकि स्वयं माननीय महोदय द्वारा ही विभिन्न स्तरों पर यह अवगत कराया गया है कि मौखिक निर्देश कोई निर्देश नहीं होता है। इसके उपरान्त भी मेरे द्वारा परिवाद संस्थित करने की सूचना माननीय जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में दिनांक 20.03.2021 को ही सायं प्राप्त करायी जा चुकी है जो कि कार्यालय द्वारा समय 05.15 पी०एम० पर प्राप्त कराया गया है। पुनः आज दिनांक 22.03.2021 के माननीय महोदय के पत्र के आधार पर उक्त परिवाद की पत्रावली माननीय महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।

कम्प्यूटर अनुभाग से फाइलिंग के उपरान्त पत्रावली, न्यायालय में मेरे समक्ष दिनांक 18.03.2021 को कार्यालय से प्रस्तुत की गई थी। परिवाद प्रस्तुत करने पर मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया था, जिसमें प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुयी थी कि स्वयं माननीय महोदय द्वारा मानवाधिकार न्यायालय में लम्बित उक्त मानवाधिकार वाद की मूल पत्रावली उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या 140/XV/ ज्ञानपुर; दिनांकित 03 फरवरी 2021 एवं पत्र संख्या 249/XV/ ज्ञानपुर; दिनांकित 03 मार्च 2021, सम्बन्धित श्रीमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया गया था, जिस पर क्रमशः दिनांक 03 फरवरी 2021 के पत्र पर सत्र लिपिक को अनुपालन करने एवं दिनांक 03 मार्च 2021 के पत्र पर सम्पूर्ण पत्रावली प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित किये जाने का आदेश सम्बन्धित माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा



दिया गया था। जबकि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली में सम्बन्धित मानवाधिकार न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 02.03.2021 को पारित किया गया था। मेरे लिए यह आश्चर्य का विषय था कि स्वयं आपके द्वारा जब उक्त परिवाद मानवाधिकार न्यायालय में विचाराधीन था पत्र संख्या 140/XV/ ज्ञानपुर; दिनांकित 03 फरवरी 2021 एवं पत्र संख्या 249/XV/ ज्ञानपुर; दिनांकित 03 मार्च 2021, द्वारा पत्राचार, पत्रावली की मूल पत्रावली उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया था जबकि मुझे इस सम्बन्ध में मात्र मौखिक निर्देश दिया गया।

दिनांक 20.03.2021 को अपरान्ह पुनः माननीय महोदय द्वारा स्वयं मुझ प्रार्थी को अपने विश्राम कक्ष में बुलाया गया जिस पर प्रार्थी माननीय महोदय के विश्राम कक्ष में उपस्थित हुआ। माननीय महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया गया कि, "सायं तक मेरे समक्ष परिवाद दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में पूरी आख्या मय छाया प्रति पत्रावली भेज दो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करूंगा, विजिलेंस जांच करवाऊंगा।" इस बात के लिये भी मुझे तीव्र स्वर में माननीय महोदय ने डांटा था कि मेरे द्वारा अब्दुल हुसैन एवं अनवर अली द्वारा श्री अभिनव यादव, सिविल जज सीनियर डिवीजन, नेहा रानी वैयक्तिक सहायक व श्री सुनील यादव के विरुद्ध संस्थित परिवाद को प्रथम दिन पर ही पूर्वनिर्देशानुसार क्यूँ नहीं खारिज किया गया और यह कहा गया कि, "मैं ऐसे केस एडमिशन के स्टेज पर ही खारिज कर देता हूँ" तथा यह भी कहा गया कि, "तुम इसे अपने स्थानान्तरण के बाद उत्तराधिकारी पीठासीन अधिकारी के लिये छोड़ कर जाना चाहते हो?"

माननीय महोदय के समक्ष प्रार्थी ने ऐसा न करने के लिए विनम्रतापूर्वक करबद्ध निवेदन भी किया था तथा सायं तक उक्त पत्रावली के बाबत आख्या प्रस्तुत करने हेतु आश्वासन भी दिया था। मेरे समक्ष कभी कोई ऐसा प्रकरण इसके पहले कभी नहीं आया था, जिसके कारण प्रकरण में परिवाद दाखिल होने पर पहले दिन ही उसका निस्तारण किया जा सके, न ही जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि किसी वाद के शीघ्र निस्तारण को छोड़कर इस प्रकार निस्तारण के सम्बन्ध में कोई लिखित या मौखिक निर्देश न्यायालय या अधिकारी को दिया जा सकता है।




माननीय महोदय की उक्त बात से तथा प्रकरण को निस्तारित किये जाने के अनुचित दबाव बनाने से प्रार्थी काफी आहत था एवं तनावग्रस्त हो गया था तथा अपने न्यायालय में आने के बाद न्यायिक कार्य व अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो गया तथा माननीय महोदय के मौखिक निर्देशों के अनुरूप आख्या भी तैयार करवाने लगा और आख्या तैयार करवाकर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक कार्यालय में समय से प्रेषित की जा चुकी थी जो दिनांक 20.03.2021 को ही सायं 05.15 बजे प्राप्त करायी गयी। प्रार्थी माननीय महोदय की पत्रावली के सम्बन्ध में निस्तारण के पश्चात आख्या प्रेषित करने को समझ नहीं सका था जिसके लिए प्रार्थी भविष्य में सचेत रहेगा।

माननीय महोदय का यह कथन कि प्रार्थी के विरुद्ध विजिलेंस जाँच करवायी जाय या उक्त प्रकरण से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाये यह माननीय महोदय का विवेकाधिकार है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई कथन नहीं करना है।

सादर

दिनांक: 22.03.2021

भवदीय

 22/3/2021
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भदोही ज्ञानपुर।

अनिल कुमार
एच0जे0एस0


अर्ध0शा0प0सं0 11 / 2021
विश्राम-कक्ष
जिला न्यायाधीश
दिनांक: मार्च 22, 2021

प्रिय आशुतोष जी,

आपके न्यायालय में सर्वश्री अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद तथा अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली सफाई कर्मचारीगण जनपद न्यायालय भदोही के द्वारा दिनांक 18.3.2021 को एक दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-396/2021, संस्थित किया गया। उक्त में दोनों परिवादीगण के द्वारा यह कहा गया कि उनके द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत एक परिवादपत्र अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही कोर्ट संख्या-1 के न्यायालय में दाखिल किया गया था जिस पर सुनवाई के प्रसंज्ञान का क्षेत्राधिकार ए0एस0जे0 भदोही, ज्ञानपुर कोर्ट संख्या-1 को नहीं था। इसलिए प्रार्थीगण के परिवाद को अन्तर्गत धारा-201, दण्ड प्रक्रिया संहिता में ए0एस0जे0 कोर्ट संख्या-1 ने प्रार्थीगण को वापस दिया है। अग्रेतर यह कहा है कि संलग्न परिवादपत्र ग्रहण कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

आज जब मैंने दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की मूल पत्रावली आपके न्यायालय से आहूत की तो प्रार्थनापत्र के साथ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में दाखिल परिवाद सं0 03/2021 की सम्पूर्ण पत्रावली संलग्न थी। परिवाद संख्या-03/2021 में एक आदेश प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश के द्वारा दिनांक-2.3.2021 को पारित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि परिवाद को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है।

परन्तु परिवादपत्र अथवा परिवादपत्र की आदेशिका पर न तो परिवाद वापस करने का पृष्ठांकन है और न ही सम्पूर्ण मूल पत्रावली हस्तगत करने का कोई आदेश पारित किया गया है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में उक्त मूल परिवाद तथा उसकी सम्पूर्ण पत्रावली को आपके न्यायालय/कार्यालय के द्वारा प्राप्त किया गया? यदि इस सन्दर्भ में आपको कोई जानकारी नहीं हो तो संबंधित लिपिक से स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा उपरोक्त वर्णित प्रकरण (परिवाद संख्या-03 /2021 की सम्पूर्ण मूल पत्रावली का प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न होने) का स्पष्टीकरण दिनांक-25.3.2021 तक प्रस्तुत करें।


(अनिल कुमार)
जिला न्यायाधीश
भदोही।

सेवामें,
श्री आशुतोष-11
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही।

प्रेषक,

आशुतोष II
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही स्थान ज्ञानपुर

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
भदोही स्थान ज्ञानपुर

विषय: माननीय महोदय के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 11/2021 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा अर्ध शासकीय पत्र संख्या 11/2021 जारी दिनांक 22 मार्च 2021 के द्वारा प्रार्थी से स्पष्टीकरण आहूत किया गया है। जिसके द्वारा, दिनांक 18-03-2021 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही स्थान ज्ञानपुर में दाखिल दाखिल प्रकीर्ण वाद संख्या 396/2021 संस्थित किया गया, जिसमें प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में दाखिल परिवाद संख्या 03/2021 में दिनांक 02-03-2021 को परिवाद को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया लेकिन परिवादपत्र अथवा परिवादपत्र की आदेशिका पर परिवाद वापस करने का पृष्ठांकन न होने तथा सम्पूर्ण पत्रावली हस्तगत करने का कोई आदेश पारित न होने के कारण उक्त परिवाद तथा उसकी सम्पूर्ण पत्रावली को प्रार्थी के न्यायालय/कार्यालय के द्वारा किन परिस्थितियों में प्राप्त किया गया के बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया है।

माननीय महोदय के उपरोक्त अर्ध शासकीय पत्र संख्या 11/2021 के अनुक्रम में मेरे द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा स्पष्टीकरण आहूत किया गया। सम्बन्धित कर्मचारी के स्पष्टीकरण के अनुसार परिवाद संख्या 03/2021, अनवर अहमद बनाम अभिनव यादव आदि की पत्रावली दिनांक 18-03-2021 को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा फाइलिंग के पश्चात कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर में प्राप्त हुई। उक्त पत्रावली का कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। जो भी पत्रावलियाँ कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा फाइलिंग के उपरान्त कार्यालय को को प्राप्त होती है। उन सभी पत्रावलियों का रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा करके अग्रिम कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक नया दाखिला कम्प्यूटर अनुभाग में ही वादी/अधिवक्तागण द्वारा किया जाता है उसके बाद समस्त नया दाखिला प्रत्येक न्यायालय में वापस भेजा जाता है।

माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी से पूर्व में अर्ध शासकीय पत्र संख्या 09/2021 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण में तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अर्ध शासकीय पत्र संख्या 09/2021 के अनुपालन में दिये गये स्पष्टीकरण से यह स्पष्टतः विदित है कि दिनांक 18-03-2021 को स्वयं माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी को ही अपने विश्राम कक्ष में बुलाकर अवगत कराया गया था कि अनवर अहमद तथा अब्दु कलाम द्वारा परिवाद श्री अभिनव यादव (सिविल जज सीनियर डिवीजन, भदोही ज्ञानपुर), नेहा रानी (वैयक्तिक सहायक) और श्री सुनील यादव के विरुद्ध मेरे न्यायालय (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही ज्ञानपुर) में परिवाद संस्थित किया जा रहा है। जिसके उपरान्त उक्त परिवाद की पत्रावली माननीय महोदय द्वारा कम्प्यूटर अनुभाग से मंगवाई गयी थी। उस समय तक उक्त परिवाद की पत्रावली की कम्प्यूटर में फाइलिंग भी नहीं की गयी थी। इसके उपरान्त माननीय महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के अवलोकन के बाद, उक्त पत्रावली कम्प्यूटर अनुभाग में फाइलिंग किये जाने हेतु प्रेषित की गयी। माननीय महोदय के विश्राम कक्ष से वापस आने के उपरान्त पेशी




के समय उक्त पत्रावली कम्प्यूटर फाइलिंग के उपरान्त मेरे समक्ष पेश की गयी, जिस पर सुनवाई के समय मेरे द्वारा पत्रावली का तथा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा H.R.Case No.03/2021 में पारित आदेश दिनांकित 02-03-2021 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त परिवाद सक्षम न्यायालय में पेश किये जाने हेतु परिवादी को उक्त आशय के पृष्ठांकन के आदेश के साथ वापस किया गया था। उक्त परिवाद किसी न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को नहीं प्राप्त कराया गया था बल्कि स्वतन्त्र पक्षकार द्वारा स्वयं इस न्यायालय में दाखिल किया गया था। जिसके अनुरूप उक्त परिवाद दर्ज किया गया। उक्त परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल किये जाने तथा कम्प्यूटर में फाइलिंग के पूर्व ही माननीय महोदय के द्वारा अपने समक्ष मंगाया गया था, उस समय उक्त तथ्य के बाबत माननीय महोदय द्वारा मुझे कोई निर्देश नहीं दिया गया तथा परिवाद की पत्रावली कम्प्यूटर अनुभाग को फाइलिंग के लिए भेज दी गयी थी।

चूँकि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के आदेश दिनांक 02-03-2021 में उक्त परिवाद H.R.Case No.03/2021, सक्षम न्यायालय में पेश किये जाने हेतु परिवादी को उक्त आशय के पृष्ठांकन के आदेश के साथ वापस किया गया था, अतः उक्त आदेश होने के कारण परिवादी अनवर अहमद तथा अब्दुक कलाम द्वारा परिवाद दाखिल किए जाने पर परिवाद न्यायालय में दर्ज किया गया। दाखिल की जा रही परिवादपत्र अथवा परिवादपत्र की आदेशिका पर परिवाद वापस करने का पृष्ठांकन न होने तथा सम्पूर्ण पत्रावली हस्तगत करने का कोई पृष्ठांकन न होने की त्रुटि एक सम्बन्धित न्यायालय के कार्यालय की लिपिकीय त्रुटि है जो परिमार्जनयोग्य है तथा ऐसी त्रुटि मात्र से परिवाद को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक: 12-04-2021

भवदीय

 (आशुतोष II)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

भदोही ज्ञानपुर

संलग्नक:-

1. कार्यालय लिपिक से मांगा गया स्पष्टीकरण की प्रति

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर।

नोटिस

फौजदारी.लिपिक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही-ज्ञानपुर

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय भदोही के अर्धशासकीय पत्र सं. 11 सन 2021 दिनांकित 22 मार्च 2021 के द्वारा मुझसे स्पष्टीकरण आहूत किया गया है जिसके अनुसार परिवाद सं० 03/2021 अन्तर्गत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की मूल पत्रावली जो प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश भदोही के आदेश दिनांकित 2.3.2021 के द्वारा परिवादी को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस की गयी परन्तु परिवाद पत्र की आदेशिका अथवा परिवादपत्र पर परिवाद वापस करने का पृष्ठाकन है और न ही सम्पूर्ण पत्रावली हस्तगत करने का कोई आदेश पारित किया गया है। इस सम्बंध में किन परिस्थितियों में उक्त परिवाद कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया, स्थिति दिनांक 24.03.2021 तक स्पष्ट करे।

दिनांक- 22.03.2021

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही-ज्ञानपुर।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि परिवाद सं. 03/2021, अनवर अहमद बनाम अभिनव यादव आदि की पत्रावली दिनांक 18.03.2021 को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा फाइलिंग के पश्चात कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर में प्राप्त हुई। उक्त पत्रावली का कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। जो भी पत्रावलियां कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा फाइलिंग के उपरान्त कार्यालय को प्राप्त होती हैं। उन सभी पत्रावलियों का रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा करके अग्रिम कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक नया दाखिला कम्प्यूटर अनुभाग में ही, वादी/अधिवक्तागण द्वारा किया जाता है उसके बाद समस्त नया दाखिला प्रत्येक न्यायालय में वापस भेजा जाता है।

अतः आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक-08.04.2021ई0

प्रार्थी
विनीत कुमार मिश्रा
(विनीत कुमार मिश्रा)
फौजदारी लिपिक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।